

# मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, 4-ए गोखले मार्ग, लखनऊ

## संयोजित भार को निर्धारित करने की प्रक्रिया

1	बल्ब पंखा	वास्तविक रेटिंग या प्रत्येक 60 वाट यदि बल्ब/पंखा पर दी गयी रेटिंग पढ़ना सम्भव न हो।
2	ट्यूब लाइट	वास्तविक रेटिंग या प्रत्येक 40 वाट
3	लाइट प्लग	
4	टेलीविजन	
	(क) रंगीन	100 वाट
	(ख) श्याम –श्वेत	60 वाट
5	पावर प्लग	
6	फ्रिज	250 वाट
7	डेजर्ट कूलर	250 वाट
8	गीजर	1500 वाट
9	एयर कंडीशनर 1/डेढ़ टन	1500 वाट/200 वाट
10	पानी खींचने वाले पम्प	180 वाट या 360 वाट तक (पम्प के अनुसार) या उपकरण की कुल रेटिंग के अनुसार (नाम पढिटका और विवरण)

टिप्पणी –

- यदि कोई उपकरण प्लग प्वाइन्ट, उपकरण भार या प्लग बिन्दु रेटिंग से संयोजित किया गया है तो जो भी अधिकतम है, उससे गणना किया जाएगा। ऐसे मामलों में, प्लग प्वाइन्ट के भार को अलग से नहीं गिना जाएगा।
- गैर धरेलू प्रकाश और पंखा के लिए प्रत्येक बल्ब का उपभोक्ता का भार 100 वाट ग्रहण किया जाएगा।
- आक्र/इन्डक्शन भट्टी के भार की गणना भट्टी की क्षमता के 600 के.वी.ए. प्रति टन के आधार पर की जाएगी।
- केवल एक उपकरण का उच्चतर दर पर विचार किया जाएगा, यदि गीजर और एहार कण्डीशनर (हीटर के बिना) लगाए गए हैं। इन उपकरणों/भारों के केवल तापन और शीतन प्रयोग को प्रचलित मौसम के अनुसार विचार में लिया जाएगा (अर्थात् 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक शीतन के लिए और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक तापन के प्रयोग के लिए)
- उपकरण, जो संस्थापन के आधीन है और विद्युतीय रूप से संयोजित नहीं है, उपकरण, जो भण्डारगृह/प्रदर्शन कक्ष में या तो पुर्जे के रूप में या विक्रय के लिए भण्डारित है, को संयोजित भार के रूप में विचार नहीं किया जाना है।
- घरेलू संयोजनों में निर्धारण के प्रयोजन के लिए, जल पम्प, माइक्रोवेव चूल्हा, वाशिंग मशीन, छोटे घरेलू उपकरणों को 100 प्रतिशत भार कारक पर प्रतिदिन एक घण्टे के कार्य के लिए निर्धारण के लिए माना जाएगा। 200 वाट से कम के उपकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

### बहुमजिला भवन/कालोनियों के मामले के भार के अवधारण के लिए मार्ग-निर्देश

1. घरेलू के लिए— सन्निर्मित क्षेत्र के प्रत्येक 10 वर्ग मीटर के लिए 500 वाट या अपेक्षित भार, जो भी अधिक है।
2. वाणिज्यिक के लिए – सन्निर्मित क्षेत्र के प्रत्येक 10 वर्ग मीटर के लिए 1500 वाट या अपेक्षित भार, जो भी अधिक है।
3. उत्थापक, जल उद्वाहक पम्प स्ट्रीट लाइट, यदि कोई हो, बरामद/परिसर प्रकाश और अन्य सामान्य सुविधा के लिए वास्तविक भार की गणना की जाएगी।
4. उक्त (I) और (II) के लिए संगणित सन्निर्मित क्षेत्र, (III) में निकाले गये सन्निर्मित क्षेत्र को अपवर्जित करेगा।
5. निम्नलिखित विविध कारकों पर अधिकतम मांग का अवधारण करने के लिए विचार किया जाएगा—  
(क) गैर घरेलू क्षेत्र : 0.75  
(ख) घरेलू क्षेत्र : 0.75

#### टिप्पणी—

1. बहुमजिला भवन से ऐसा भवन अभिप्रेत है, जिसमें निम्न तल को अपवर्जित करके तीन या अधिक तल हों।
2. कार खड़ी करने के क्षेत्र, सीढ़ी तथा बालकनी के लिए, क्षेत्र के 50 प्रतिशत को निर्मित/सन्निर्मित क्षेत्र की संगणना के लिए लिया जाएगा।
3. जल टैंक क्षेत्र और छज्जा बहिर्वेशन क्षेत्र पर निर्मित/सन्निर्मित क्षेत्र की संगणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. यदि स्वीकृत नक्शा उसी परिसर या कालोनी में दो या अधिक भवनों को निर्दिष्ट करता है, तो उन्हें निर्मित/सन्निर्मित क्षेत्र की संगणना के लिए संयोजित किया जाएगा।
5. यदि केवल भवन/कालोनी के भाग का सन्निर्माण नक्शा के अनुसार स्वीकृत सम्पूर्ण भवन/कालोनी के विरुद्ध किया जाता है और स्वीकृत नक्शा के अनुसार भवन/कालोनी का निर्मित क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक है या अपेक्षित भार 25 के.डब्ल्यू. या अधिक है, तो ऐसे मामलों में ट्रांसफार्मर के लिए स्थान दिया जाएगा और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था उसके परिसर में आवेदक के खर्च पर ट्रांसफार्मर संस्थापित करके एल.टी. आधार पर किया जाएगा और भविष्य में एच.टी. में सम्परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हुए वचन दिया जाएगा, जब भवन/क्षेत्र का अध्यपेक्षित भार 50 के.डब्ल्यू. से अधिक हो।
6. यदि एम.एस. भवन का अध्यपेक्षित भार 75 के.डब्ल्यू. है, तो ट्रांसफार्मर की दर क्षमता का निर्धारण निकटतम उपलब्ध क्षमता अर्थात् 75 के.डब्ल्यू. /0.90पी.एफ. बराबर 84 के.वी. या 100 के.वी.ए. तक किया जाएगा, जो बी.आई.एस. के अनुसार निकटतम उच्चतर मानक दर है। लेकिन, यदि इस प्रकार संगणित क्षमता निम्नतर मानक दर के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी निम्नतर क्षमता ट्रांसफार्मर के निर्माण की अनुमति दे सकता है, यदि अध्यपेक्षित भार ट्रांसफार्मर क्षमता के अन्तर्गत है।
7. अनुज्ञप्तिधारी उच्चतर क्षमता का ट्रांसफार्मर प्रदान कर सकता है, यदि क्षेत्र में अन्य भार का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक पाया जाता है। उक्त निर्दिष्ट क्षमता के ट्रांसफार्मर के बदले, अतिरिक्त व्यय का वहन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जा रहा है।